20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | Rs.5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

312

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग/3694-II-15

प्र. क्र. /

1. दीनदयाल तनय दयाराम चमार
2. मातादीन तनय दयाराम चमार
3. रामेश्वर तनय दयाराम चमार
4. रतन फौत द्वारा वारिस श्रीमती गीता देवी पत्नी रतन निवासीगण ग्राम मडवा तहसील लौडी जिला छतरपुर म.प्र.

--- आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. बृजमोहन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम मडवा तहसील लौडी जिला छतरपुर अन्य 13

--- अनावेदकगण

दिनांक 7.11.15 को श्री शामबक शर्मा काौंसि द्वारा प्रस्तुत/ 7-11-15 SO

(रीवेक शर्मा अधिवक्ता)
6-99-2094

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 5.10.06 द्वारा पारित न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर प्र. क्र. 46 स्वमेव निगरानी / 92-93 दीनदयाल विरूद्ध म.प्र. शासन के निर्णय से दुखी होकर निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्रीमान जी,

आवेदकगण की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

1\. यह कि, बांकि ग्राम सैंगरी पुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 369 स्थित ग्राम मडवा तहसील लौडी जिला छतरपुर के आवेदकगण के पुरखा कुंजिया कच्छ के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी जिसे म.प्र. शासन द्वारा बिना सूचना दिये [illegible] म.प्र. शासन

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.3694-दो/2015 जिला-छतरपुर

दीनदयाल आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक- 46/स्व.निग./1192-93 में पारित आदेश दिनांक 05-10-2006 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-11-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

3

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य